

फर्द अहकाम

(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री गंगाधर सोलंकी निवासी 10-ए, अशोक नगर, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्साधिकारी, श्री सांवलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 108/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
27/10/20	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री गंगाधर सोलंकी निवासी 10-ए, अशोक नगर, चित्तौड़गढ़ ने सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 04.08.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्साधिकारी, श्री सांवलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्साधिकारी, श्री सांवलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को उक्त आवेदन से चाही गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को जरिए डाक प्रस्तुत की गई है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी, श्री सांवलियाजी राजकीय चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़ को सम्बोधित है एवं चाही गई सूचनाएं जिला चिकित्सालय से संबंधित है जो कि चिकित्सा विभाग का विषय है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्साधिकारी, श्री सांवलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की सक्षमता/क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन-उदयपुर) के यहां अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p>	



(क.के. शर्मा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)